



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-158 राँची, शुक्रवार, 7 फाल्गुन, 1942 (श०)
26 फरवरी, 2021 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई, 2019

विषय- झारखण्ड Procurement Policy-2014 में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।

अधिसूचना संख्या - 1342 -- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के हितों की सुरक्षा हेतु सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम विकास नियमावली-2006 के आलोक में झारखण्ड Procurement Policy-2014 के अधिसूचित होने के उपरान्त सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र की इकाईयों तथा औद्योगिक संघों से यह माँग की जाती रही है कि विभिन्न विभागों/ निगम/ नगर निगम/ अधिसूचित क्षेत्रों इत्यादि के द्वारा जारी निविदा में अनेक बाध्यकारी शर्तों के जुड़े रहने के फलस्वरूप सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र की इकाईयों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है तथा निविदा प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही तकनीकी दृष्टिकोण से आयोग्य करार कर दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में झारखण्ड Procurement Policy-2014 की मूल भावना स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों के हितों की रक्षा हेतु यह आवश्यकता महसूस की गई कि झारखण्ड Procurement Policy-2014 में प्राप्त सुझावों एवं भारत सरकार के निदेशों के आलोक में छूट संबंधी अतिरिक्त कंडिका का समावेश किया जाय।

दिनांक 09.02.2016 को अपर मुख्य सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में आयोजित Stakeholders बैठक में झारखण्ड Procurement Policy-2014 में कतिपय संशोधन हेतु सुझाव प्राप्त हुए थे। साथ ही भारत सरकार के पत्रांक F.No.25(2)/2011-MA दिनांक 14.10.2011 एवं No. 22(1)/2003/EP&M दिनांक 29.07.2003 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि सामग्रियों के क्रय करने संबंधी

निविदा में सूक्ष्म, एवं लघु इकाईयों (MSEs) के लिए न्यूनतम टर्न ओवर संबंधी बाध्यकारी शर्तों से मुक्त रखा जाय।

Procurement Policy-2014 की कंडिका- 8.1 में पूर्व से प्रावधानित है कि Annexure-I में वर्णित Exclusive Purchase List में निदेशक उद्योग के द्वारा प्रत्येक वर्ष Revised एवं Notified किया जाएगा। उक्त के आलोक में दिनांक 12.04.2016 को विभिन्न जिलों के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्रों के साथ हुई बैठक में प्राप्त सुझावों एवं औद्योगिक संघों की मांगों के आधार पर झारखण्ड Procurement Policy-2014 के Annexure-I में वर्णित Items Under Exclusive List 35 अन्य Items को जोड़ने का सुझाव दिया गया।

निविदा में झारखण्ड के manufacturing इकाई शामिल हो इसके लिए योजना-सह-वित्त विभाग का मंतव्य के आलोक में झारखण्ड क्रय नीति-2014 की कंडिका-3 (vii) जो Applicability से संबंधित है, में संबंधित MSEs से वांछित कागजात प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान को समावेश किया जाना है। इस संबंध में वाणिज्यकर विभाग से भी आवश्यक परामर्श प्राप्त किया गया है। साथ ही योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प पत्रांक 2504/वि0, दिनांक 24.07.2017 के आलोक में झारखण्ड Procurement Policy-2014 की कंडिका-4 में आवश्यक संशोधन करते हुए राज्य सरकार के सभी विभागों/ अधीनस्थ कार्यालयों/ वित्त प्रदत्त संस्थानों के लिए Gem Portal से वस्तुओं के क्रय करते समय JPP-2014 की कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने से संबंधित अतिरिक्त कंडिकाओं का समावेश किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। दिनांक 01.04.2016 से झारखण्ड औद्योगिक एवं प्रोत्साहन नीति (JIIPP)-2016 तथा 01 जुलाई 2017 से Goods and Service Tax (GST) के लागू होने से झारखण्ड Procurement Policy-2014 की कंडिका-3 (iv), 10.1 एवं 10.3 में तदनु रूप परिवर्तन अपरिहार्य हो गई है। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार Memorandum जारी करने के फलस्वरूप कंडिका-3 (iii) में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत दिनांक 02.07.2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-11 के रूप में लिए गये निर्णय के अनुरूप झारखण्ड उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत दिनांक 02.07.2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-11 के रूप में लिए गये निर्णय के अनुरूप झारखण्ड क्रय नीति-2014 में निम्न संशोधन/समावेश किया जाता है:-

1. (i). कंडिका-3 (iii) को निम्नांकित प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"MSE is registered with the Directorate of Industries/District Industries Centre, Khadi and Village Industries Board, Directorate of Handloom, Sericulture and Handicraft of Jharkhand Govt, Industrial Area Development Authorities and National Small Industries Corporation Ltd or any other body specified by Directorate of Industries, Jharkhand Govt from time to time and other industrial units/enterprises which have submitted IEM and been issued. Date of Production (DOP) certificate by GM, DIC/MD, Industrial Area Development Authorities/Director, Industries, GoJ or MSEs having Udyog Aadhar Number issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, GoI to be duly verified, whether unit is existing/ functional and doing regular production at what capacity by GM, DIC/MD, Industrial Area Development Authorities/Director, Industries, GoJ".

(ii). कंडिका-3 (iv) निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"The MSEs /other Enterprises and units must be registered under Jharkhand Goods and Services Tax (JGST) Act-2017 or The Central Goods & Services Tax (CGST) Act 2017".

(iii). कंडिका-3 (vii) को निम्नांकित प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"The MSE Unit availing preferential treatment will give an undertaking with respect to (i) to (vi) above including a categorical statement that the product/services being supplied to Govt. Deptt. or its agencies has been manufactured/created by the unit located in Jharkhand only, giving details of batch no./date or any other identifiable tag (GSI etc) as per prevalent established practice and will have to submit compulsorily duly signed copy of Form GSTR-9C (For units having aggregate yearly turnover of more than 2 crores) as prescribed under JGST Act-2017". However, in case of VAT products/services, Form JVAT-409 (For units having of gross yearly turnover more than 60 lacs) issued by deptt. of Commercial taxes, Govt. of Jharkhand.

2. Annexure-I में वर्णित "Item under exclusive list reserved for purchase from State Micro and Small Enterprises (MSEs) में विस्तार करते हुए Jharkhand Procurement Policy-2014 के Annexure-I में वर्णित 31 Items के अतिरिक्त निम्न 35 अतिरिक्त Items को Annexure-I में शामिल किया जाता है:-

- i. Sanitary Napkins /Towel.
- ii. Agriculture Pipes (Soft PVC Pipes)
- iii. Small Iron tools (Hammer, Shovel etc)
- iv. Manual Agriculture Tools
- v. Hand Gloves (Rubber)
- vi. Domestic Utensils all types
- vii. Pavers blocks
- viii. Conveyor belt
- ix. Leather Bags
- x. Jute File Folders
- xi. Metal Handicraft
- xii. Road Marking(Thermoplastic)/Painted Road Marking
- xiii. Retro-reflective Signage
- xiv. Moulded Plastic Goods (House hold/Construction items).
- xv. Boxes made of metal/Wood
- xvi. Bolts/Nuts/Wire nail
- xvii. Mosquitoes net/Quilt/Mattress/Pillow
- xviii. Cotton/Jute/Rexin/Leather School Bags
- xix. Corrugated paperboard/Boxes
- xx. Pickles/Chutney/Sauce/Papads/Spices/Culinary Spices (FSSAI Mark)
- xxi. Ready to Eat food/Cereal Flakes/Confectionary (FSSAI Mark)
- xxii. Bakery Products (FSSAI Mark)
- xxiii. Ice- Cream
- xxiv. Fortified Milk/Milk Products
- xxv. Edible Oil.(FSSAI Mark)
- xxvi. Plastic/Metal Dustbins
- xxvii. Disinfectants(House hold/Hospital)
- xxviii. UPS/Stabilizers/Battery Charger
- xxix. Wooden Furniture/Boxes/Boards
- xxx. Bamboo Products/Lathies
- xxxi. Paper conversion Product
- xxxii. Cane basket
- xxxiii. Bucket(Metal)
- xxxiv. Honey (FSSAI Mark)
- xxxv. Blanket/Carpet

3. कंडिका-4 में अतिरिक्त कंडिका-(d) एवं (e) को निम्न प्रकार से सम्मिलित किया जाता है:-

कंडिका- 4 (d) "It is mandatory for every department of the State Govt. or its agencies or aided institutions to purchase from local MSEs supplier on GeM portal of the items mentioned in exclusive list of Annexure-I and also ensure 20% procurement of the concerned year from local MSEs supplier on Gem Portal as per provisions of JPP-2014".

कंडिका- 4 (e) "Department of Industries in coordination with department of IT and E-Governance will encourage and facilitate MSEs of the State to register their products on GeM Portal".

4. कंडिका-10.1 में JIP-2012 Para-18.1(i), [ii(a,b,c)] की जगह JIIP-2016 Para 4.1 को प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. कंडिका-10.3 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"While preparing comparative price statement for evaluation of tender paper, the VAT/SGST payable in Jharkhand state shall not be included in the quoted price or selling price. However, any tax payable outside Jharkhand shall be added to the quoted price and selling price for such price comparison".

6. कंडिका-11 (i) में अतिरिक्त उप कंडिका-11(i) (e) को सम्मिलित किया जाता है:-

"No minimum Annual Turn Over and work experience related tender conditions for working MSEs of Jharkhand State. (Without compromising on quality and specification of the product/service and department has complete right to decide on the quality and specification)."

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
सरकार के सचिव।
